न्यायालय– विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट),सन्त कबीर नगर।

UPSK010020532026

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–158/2026

टिकोरी–––बनाम ––– डब्लू साहनी आदि

अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस

थाना–धर्मसिंहवा, जनपद संतकबीर नगर

दिनांक– 20.06.2026

(1)– पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) बी.एन.एस एस. पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

(2)– प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत कर संक्षेप में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी टिकोरी पुत्र मुनेसर साकिन खटहा थाना धर्मसिहवां जनपद संतकबीरनगर का निवासी है प्रार्थी अनुसूचित जाति का चमार है। प्रार्थी का मौजा जमयाताल मे खटहा से बौर व्यास मार्ग पर रिहाइशी छप्परपोश मकान स्थित है। जिसमे प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी रहते है इसी छप्परपोश घर के अलावा अन्य कोई घर नहीं है। और इसी मकान मे सोते भी है। घटना दिनाक 22.3.26 समय करीब 7:00 बजे शाम की है मुल्जिमान डब्लू साहनी पुत्र भाऊ दुर्गेश साहनी पुत्र रामानन्द जो प्रार्थी के ही गांव के है प्रार्थी की पत्नी पनवा खेत में गयी थी, प्रार्थी जब अपने छप्परपोश मकान पर पहुँचा तो देखा कि उपरोक्त मुल्जिमान प्रार्थी के छप्परपोश मकान के सटे बैठकर शराब पी रहे थे, प्रार्थी द्वारा मना किया गया कि यहां से कही दूर जाके पीयो इसी छप्पर पोश मकान में हम रहते है इतने में उपरोक्त मुल्जिमान आग बबूला हो गये साले चमार की जाति की गाली देते हुये कहे कि तुम्हारी चमरई अभी भूलवां देंगे और जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुये मां बहन की गाली गुप्ता देने लगे, विरोध पर लात, मूका थप्पड़ से मारने लगे तथा गले मे गमछा लपेट कर कस दिये। प्रार्थी किसी तरह शोर मचाया तो प्रार्थी की पत्नी व गांव के अन्य तमाम लोग व राहगीर मौके पर आ गये बीच बचाव किये और घटना को देखे तब मुल्जिमान जाने लगे और जाते समय प्रार्थी के छप्परपोश मकान में आग लगा दिये जिससे प्रार्थी का छप्परपोश मकान व उसमे रखा सामान जलकर राख हो गया। मुल्जिमान इस बात की धमकी भी दिये कि यदि कही शिकायत किये तो साले चमार की जाति तुम्हे व तुम्हारे परिवार को जान से खत्म कर देंगे। प्रार्थी के जल रहे उक्त छप्परपोश मकान पर विपक्षीगण पत्थर भी फेंक रहे थे। घटना के वाद प्रार्थी तुरन्त डायल 112 नं० पुलिस बुलाया पुलिस आयी परन्तु मुल्जिमान के प्रभाव में आकर कोई कार्यवाही नही किये, प्रार्थी बहुत ही गरीब व्यक्ति है पार्थी के पास अन्य कोई घर भी नही है प्रार्थी उपरोक्त घटना की सूचना थाना मुकामी पर दिया किन्तु कोई कार्यवाही थाना मुकामी द्वारा नही किया गया जिससे मुल्जिमानो का मनोबल और अधिक बढ गया, जिससे मुल्जिमान उपरोक्त दिनाक 3.5.26 समय करीब 9:00 बजे रात्रि को प्रार्थी के खेत मे लगे केले को जिसमे फल लगा था काट कर गिरा दिये, प्रार्थी खेत की

Digitally signed by CHANDRA MOHAN SRIVASTAVA
Date: 2026.06.20 16:31:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

रखवाली करने जा रहा था घटना को देखा तो शोर मचाया मौके से मुल्जिमान भाग गये, प्रार्थी पुनः घटना के वावत थाना मुकामी पर दरखास्त दिया थाना मुकामी द्वारा मात्र उपरोक्त मुल्जिमान को धारा 170,135,126 बी.एन.एस. एस. मे चालान कर दिया प्रार्थी का मुकदमा दर्ज नही किये, तब प्रार्थी घटना के वावत एक रजिस्टर्ड प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर को दिया किन्तु आज तक वहां से भी कोई कार्यवाही नही हुई प्रार्थी निराश होकर न्यायालय समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है प्रार्थी का मुकदमा दर्ज कराया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अतः प्रार्थना है कि थानाध्यक्ष धर्मसिहवां को आदेशित किया जावे कि पार्थी का मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने की कृपा करे।

(3)– प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड, पुलिस अधीक्षक को भेजे गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, , घटनास्थल पर जले हुए घर की फोटोप्रति, घटनास्थल पर हुयी वारदात की रिकोर्ड वीडियों की पेनड्राइव, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं सरकार बनाम डब्लू साहनी आदि दाखिल वाद की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है।

(4)– उपरोक्त प्रार्थना–पत्र के संबंध में थाना धर्मसिंहवा से आख्या आहूत की गयी। थाना धर्मसिंहवा द्वारा यह आख्या प्रस्तुत की गई है कि उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

(5)– मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षी संख्या–1 डब्लू साहनी व विपक्षी संख्या–2 दुर्गेश साहनी द्वारा प्रार्थी टिकोरी के छप्परपोश मकान से सटकर बैठकर शराब पीने पर प्रार्थी द्वारा मना करने पर उपरोक्त मुल्जिमान द्वारा प्रार्थी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे मां बहन की गाली गुप्ता देने तथा प्रार्थी द्वारा विरोध करने पर उसे लात, मुक्का एवं थप्पड़ से मारने एवं गले में गमछा लपेट कर कस देने का कथन किया गया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से विदित होता है कि प्रार्थी को घटना के समस्त तथ्य एवं गवाहन के नाम ज्ञात हैं। प्रकरण इस प्रकार का नहीं है जिसमे विवचेना से कोई अन्य तथ्य उदघटित होना शेष हो। प्रस्तुत मामले में पुलिस से विवेचना कराये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। **मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (क्रिमिनल अपिल संख्या–781/2012 निर्णय दिनांकित 29.03.2015 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007(59) Scc739) में प्रतिपादित विधि व्यवस्था** को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) BNSS परिवाद के रूप में दर्ज कर न्यायालय द्वारा जाँच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

(6)– प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा– 173(4) BNSS परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अंतर्गत धारा–223 BNSS दिनांक–20.07.2026 को पेश हो।

(चन्द्रमोहन श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)
सन्त कबीर नगर।
जे०ओ०कोड–UP01540